सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 04 / 2010

सरकार जरिये तहसीलदार, (भूमिधारी) दौसा ..प्रार्थी

बनाम

1.रामनारायण
2.रामदेव पि0 बिरदा जाति मीना निवासी नॉगल बैरसी तहसील दौसा जिला दौसा
..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4)
भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थिति–1. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक: 20.11.2017

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24.06.1989 को **ग्राम नॉगल बैरसी** तहसील दौसा के अ0ख0 नं0 353 / 511 रकबा 0.09, 352 / 512 रकबा 0.04 एवं 349 / 513 रकबा 0.04 कुल 0.17 है0 भूमि का आवंटन किया गया। किन्तु आ0ख0नं0 349 / 521 रकबा 0.01, 352 / 522 रकबा 0.01 एवं 353 / 520 रकबा 0.01 है0 कुल 0.03 है0 भूमि के आवंटन में उक्त भूमि मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही होने के कारण तहसीलदार, दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि अप्रार्थी को दिनांक 24.06.1989 को **ग्राम नॉगल बैरसी** तहसील दौसा के आ0ख0नं0 353 / 511 रकबा 0.09, 352 / 512 रकबा 0.04 एवं 349 / 513 रकबा 0.04 कुल 0.17 है0 भूमि आवण्टित की गई थी। किंतु आ0ख0नं0 349 / 521, 352 / 522, 353 / 520 कुल 0.03 है0 भूमि मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है, जिस पर ग्रेवल रोड निकल चुका है। उक्त भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। अतः

भूमि मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही होने के कारण एवं ग्रेवल रोड निकल चुका होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन निरस्त किया जावें।

अप्रार्थी उपस्थित नहीं है। गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी जॉच पटवारी हल्का से करवाई गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीगण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24.06.1989 को **ग्राम नॉगल बैरसी** तहसील दौसा के आ0ख0नं0 353/511 रकबा 0.09, 352/512 रकबा 0.04 एवं 349/513 रकबा 0.04 कुल 0.17 है0 भूमि का आवंटन किया गया। किन्तु आ0ख0नं0 349/521, 352/522, 353/520 कुल 0.03 है0 भूमि मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है, जिस पर ग्रेवल रोड भी निकल चुका होना राजकीय अधिवक्ता ने वरवक्त बहस बताया और उक्त खसरा नंबर में से 0.03 है0 भूमि जो रास्ते के काम आ रही है, उसे निरस्त करने की इस्तदुआ की हैं । साथ ही अप्रार्थी के पक्ष में नामा0 सं0 92 दिनांक 08.01.2002 में नायब तहसीलदार द्वारा आवंटित भूमि में से कुल रकबा 0.14 है0 की खातेदारी दर्ज करते हुए शेष रही भूमि 0.03 है0 भूमि के लिए 14 (4) का प्रकरण भिजवाने हेतु अभिशंसा की गई हैं। अतः मौके की स्थिति एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र विचार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अप्रार्थी बावजूद तामिल उपस्थित ही नहीं हुए। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं करना चाहते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आंशिक स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 24.06.1989 में से तहसीलदार द्वारा अंकित आ0ख0नं0 349/521, 352/522, 353/520 कुल 0.03 है0 भूमि का आवंटन निरस्त किया जाते हुए शेष आवंटन यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 20 नवम्बर,2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official